



Neutral Citation No-2026:AHC:5210

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4867 वर्ष 2025

श्रीपाल और 15 अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

चकबंदी हाथरस के उप निदेशक और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अंजनी कुमार शाहवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षी संख्या-1 से 3 के लिए स्थायी अधिवक्ता और गांव सभा के अधिवक्ता (प्रतिपक्षी संख्या-4) को सुना।
2. प्रस्तुत मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यहां पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से और उनके संबंधित हलफनामे को बुलाए बिना प्रस्तुत मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है।
3. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

“i- उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करना, धारा 48(3) यू.पी.सी.एच. अधिनियम, 1993 के तहत केस संख्या-0290 वर्ष 2024, कम्प्यूटरीकृत केस संख्या-202454183400000290 (ग्राम सभा बनाम श्रीपाल और अन्य) में चकबंदी के उप निदेशक, हाथरस द्वारा पारित 16.05.2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दें।



ii. कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उपयुक्त समझे।

iii. याचिकाकर्ता के पक्ष में याचिका की लागत का पंचाट करें।

4. याचिकाकर्ता चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 16.05.2025 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके तहत प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के नाम भू-राजस्व अभिलेखों से हटाने का आदेश दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चकबंदी के उप निदेशक ने डी.डी.सी. (राजस्व) के माध्यम से गांव सभा की ओर से दायर एक आवेदन पर सीधे विचार किया है और याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाई गई याचिका का विज्ञापन किए बिना, जो वर्ष में निष्पादित पट्टा विलेख के आधार पर विचाराधीन संपत्ति पर अपने अधिकार, शीर्षक और हित का दावा कर रहे हैं। 1967 में, उक्त आवेदन (इसे संशोधन के रूप में मानते हुए) की अनुमति दी गई और समेकन अभिलेखों यानी सीएच फॉर्म-45 के सुधार के लिए एक निर्देश जारी किया।

5. गांव सभा के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से सीएच फॉर्म-45 में अपना नाम दर्ज कराया है, जबकि उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए, चकबंदी के उप निदेशक ने समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 08.07.2024 की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के नामों को सही ढंग से निकाल दिया है।

6. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता के साथ-साथ गांव सभा के अधिवक्ता द्वारा पेश की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अभिलेखों के अवलोकन के बाद, यह स्पष्ट है कि सीएच फॉर्म-45 में प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के पक्ष में की गई प्रविष्टियों को हटा दिया गया है क्योंकि उन्हें जाली माना जाता था।

7. चकबंदी के उप निदेशक ने सीएच फॉर्म 45 में की गई प्रविष्टियों को सही करने के लिए विद्वान डी.जी.सी. (आर) द्वारा पेश किए गए विविध आवेदन पर सीधे विचार किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता उपस्थित हुए और उपरोक्त आवेदन पर अपनी विस्तृत आपत्तियां दर्ज कीं, चकबंदी के उप निदेशक याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित बचाव पक्ष को स्वीकार करने में विफल रहे। वर्ष 1967 में गांव सभा द्वारा निष्पादित पट्टा विलेख के आधार पर उनके दावे को चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। सभी याचिकाकर्ताओं से संबंधित



प्रासंगिक जेडए फॉर्म-58 को सामूहिक रूप से रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-2 के रूप में दायर किया गया है, जो प्रथम दृष्टया नष्ट की गई भूमि पर उनके कानूनी अधिकार और स्वामित्व का सबूत देता है। इसके अलावा, प्रथम अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा ओ.एस. संख्या-480 वर्ष 1995 (महेंद्र सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.02.1996 और इस रिट याचिका के क्रमशः अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय और इस रिट याचिका के क्रमशः अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय जिसके द्वारा दिनांक 12.06.1967 के पट्टा विलेख को दीवानी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है, गांव सभा द्वारा स्थापित कथित जालसाजी के मामले पर निर्णय देते समय विचार करने के लिए भी प्रासंगिक हैं। चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि समेकन के निपटान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दिनांक 08.07.2024 की रिपोर्ट को दिनांक 16.05.2025 को आक्षेपित आदेश पारित करने का एकमात्र आधार बनाया गया है, जिसके तहत प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के नामों को हटाने का आदेश दिया गया है।

8. चकबंदी के उप निदेशक ने प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के दावे को गैर-अनुकूल बनाया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा विचाराधीन भूखंड पर उनके कानूनी अधिकार, शीर्षक और हितों के संबंध में दायर आपत्तियों पर कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया है। आक्षेपित आदेश को खड़े रहने की अनुमति देने से प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं के किरायेदार अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो गांव सभा के आवंटी हैं। रिपोर्ट के आधार पर केवल एक अनुमान सीएच फॉर्म-45 से उनके नाम को हटाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए बचाव पर उचित विचार नहीं किया जाता है। प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को ध्वस्त भूमि पर अपने दावे को स्थिर करने के लिए निष्पक्ष सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। सीएच फॉर्म-45 से उनके नाम निकाले जाने से पहले उन्हें सुना जाना चाहिए। केवल एक टिप्पणी कि दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुना गया था और उनकी ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों का अवलोकन किया गया था, बिना कारणों को दर्ज किए या इसमें शामिल मुद्दों से निपटे बिना, चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, प्रस्तुत रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए और चकबंदी के उप निदेशक द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जा सकता है।



9. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्तुत रिट याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। चकबंदी उप निदेशक द्वारा पारित दिनांक 16.05.2025 का आदेश एतद्वारा **रद्द/अपास्त** किया जाता है। मामले को चकबंदी के उप निदेशक के समक्ष एक विशिष्ट निर्देश के साथ भेजा जाता है कि डी.डी.सी. (राजस्व) के माध्यम से गांव सभा द्वारा दायर आवेदन पर अंतिम आदेश पारित करने से पहले प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों पर विधिवत विचार किया जाएगा। प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का एक पूर्ण और प्रभावी अवसर दिया जाएगा ताकि वे ध्वस्त भूमि के संबंध में अपना बचाव कर सकें।

10. सभी याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ गांव सभा को एतद्वारा 03.02.2026 को चकबंदी उप निदेशक के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

11. यह सिवाय इसके कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता है, तो वे इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि यानी 03.02.2026 को सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करेंगे।

12. चकबंदी के विद्वान उप निदेशक, हाथरस को कानून के अनुसार, अधिमानतः निर्धारित तिथि यानी 03.02.2026 से दो महीने की अवधि के भीतर मामले पर निर्णय लेने का प्रयास करने के लिए छोड़ दिया गया है।

जनवरी 8, 2026

नीतू

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)